<u>संख्या-1/2015/जी-1- 01/दस-2015-226/2008 टी0सी0- ।।</u>

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी, 2015

विषयः- **राजकीय सेवा में पति तथा पत्नी दोनों के कार्यरत होने एवं एक ही आवास में रहने पर पति तथा पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

राजकीय सेवा में पति तथा पत्नी दोनों के कार्यरत होने एवं एक ही आवास में रहने पर पति तथा पत्नी दोनों में से किसी एक को नियमानुसार मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-जी-1-1795/दस-81-209-81, दिनांक 15 दिसम्बर, 1981, शासनादेश संख्या-जी-1-2569/दस-83-209/81, दिनांक 28 फरवरी, 1984 तथा शासनादेश संख्या-जी-1-392(1)/दस-2000-206-2000, दिनांक 28 अप्रैल, 2000 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि पति तथा पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और एक ही किराये के/अपने आवास में रह रहे हैं तो केवल इस आधार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा कि पति तथा पत्नी दोनों एक ही आवास में रह रहे हैं।

उपरोक्त निर्णय के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेशों में उक्त सीमा तक संशोधन करते हुए, राजकीय सेवा में पति तथा पत्नी दोनों के कार्यरत होने एवं एक ही (किराये के अथवा अपने आवास) आवास में रहने पर भी पति तथा पत्नी दोनों को उनकी देयता के अनुसार मकान किराये भत्ते की नियमानुसार देय धनराशि प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान करते हैं कि वह दोनों मकान किराये भत्ते को प्राप्त करने की अन्य शर्तें पूरी करते हों।

2- उपरोक्त व्यवस्था इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी तथा पूर्व के प्रकरण पुनरोद्घाटित नहीं होंगे।

भवदीय,

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव, वित्त

http://shasanadesh.up.nic.in

-2-

संख्या-1/2015/जी-1- 01(1)/दस-2015-226/2008 टी0सी0- ।।, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4- स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

6- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

7- प्रभारी, निकनेट सेल, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन ।

आज्ञा से,

बी0 के0 सिंह

विशेष सचिव

http//shasanadesh.up.nic.in

http//shasanadesh.up.nic.in